

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 51/2020

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भीखसिंह पुत्र लालसिंह फौत के कायम मुकाम 1/1 गणपतसिंह पुत्र भीखसिंह 1/2 सोनकंवर पुत्री भीखसिंह 1/3 हवाकंवर पुत्री भीखसिंह 1/4 बीबाकंवर पुत्री भीखसिंह 1/5 पुष्पाकंवर पुत्री भीखसिंह 1/6 गायत्रीकंवर पुत्री भीखसिंह 1/7 राजकंवर पुत्री भीखसिंह 1/8 देशुकंवर पत्नि भीखसिंह जातियान राजपूत निवासी बाण्डानाड तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. जबरसिंह पुत्र लालसिंह 2. पूंजराजसिंह पुत्र लालसिंह जातियान राजपूत निवासी बाण्डानाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, एण्ड जयपुर शाखा सिणधरी जिला हाल एस.बी.आई. सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी
--	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

उपस्थिति—

- 1 श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 2 से 3 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 4 के पैरोकार उप.

निर्णय

दिनांक— 25.09.2024

सक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा— मोतीनगर, पटवार मण्डल सिणधरी के खसरा संख्या 373/92, 374/92 रकबा क्रमशः 0.0809, 4.7974 हैक्टैयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 04.08.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध

3
सहायक कलक्टर
S.D.O सिणधरी

करवाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- मोतीनगर, पटवार मण्डल सिणधरी के खसरा संख्या 373/92, 374/92 रकबा कमशः 0.0809, 4.7974 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	गणपतसिंह पुत्र भीखसिंह हि. 1/8 गायत्री कंवर हि. 1/8 पुष्पा कंवर हि. 1/8 बीबा कंवर हि. 1/8 राजकंवर हि. 1/8 सोनकंवर हि. 1/8 हवाकंवर हि. 1/8 पुत्रियां भीखसिंह देशुकंवर पत्नि श्री भीखसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत सा. देह रहन सम्पूर्ण भूमि (पूर्ण खाता) एसबीबीजे शाखा सिणधरी	मोतीनगर	374/92	1.5992	बा.दो.	17.77	हरा
2	जबरसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत सा. देह	मोतीनगर	374/92	1.5991	बा.दो.	17.76	आसमानी
3	पूंजराजसिंह पुत्र श्री लालसिंह राजति राजपूत सा. देह	मोतीनगर	374/92	1.5991	बा.दो.	17.77	पीला
4	पूर्व के सम्पूर्ण खातेदारान यथावत (पूर्ण खाता नं. 38)	मोतीनगर	373/92	0.0809	गै.मु. रास्ते के रूप में	-	-

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:- श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.
उनवान

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भीखसिंह पुत्र लालसिंह फौत के कायम मुकाम
- 1/1 गणपतसिंह पुत्र भीखसिंह
- 1/2 सोनकंवर पुत्री भीखसिंह
- 1/3 हवाकंवर पुत्री भीखसिंह
- 1/4 बीबाकंवर पुत्री भीखसिंह
- 1/5 पुष्पाकंवर पुत्री भीखसिंह
- 1/6 गायत्रीकंवर पुत्री भीखसिंह
- 1/7 राजकंवर पुत्री भीखसिंह
- 1/8 देशुकंवर पत्नि भीखसिंह जातियान राजपूत निवासी बाण्डानाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. जबरसिंह पुत्र लालसिंह
2. पूंजराजसिंह पुत्र लालसिंह जातियान राजपूत निवासी बाण्डानाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, एण्ड जयपुर शाखा सिणधरी जिला हाल एस.बी.आई. सिणधरी
4. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:- 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 51/2020

निर्णय दिनांक :- 25.09.2024

वादी की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 के श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति तथा शेष की अनुपस्थिति में इस वद में आज तारीख 25.09.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 25.09.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 25.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	